

2025/420

निर्दि

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

25.7.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
पतराम  
बनाम  
मंवरलाल आदि  
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 आरटीएक्ट  
प्रकरण संख्या 305 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
16.06.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 16.07.2025 को पेश हो।	
15.7.2025	वकील वादी ने पत्रावली - पत्रावली पेश करने पर प्रजावली को पेश किया गया व कुलाल फारिडेन उपखण्ड वादी व प्रजावली को व देने दारिदर आवाक आकर पेश किया जिसे काय लखीक 21 जिले फारिल प्रजावली प्रजावली वाले बले प्रजावली आदि-9 लखीक 18.7.2025 को पेश हो।	पतराम पतराम [Signature] मंवरलाल
10.7.2025	[Stamp: 25.7.2025]	[Signature]
25.7.2025	कुलाल फारिडेन उपखण्ड वादी बले प्रजावली प्रजावली व दस सुनी गरी प्रजावली का थर गोरन किया गया। प्रजावली पर उपखण्ड एकाई नारी का नदी प्रजावली के राजीनामा के आधार पर वाद नदी डिबरी किया जा रहा है। प्रजावली व दस सहित निर्णय अलग से किया जाकर 21 जिले फारिल किया जाये। प्रजावली नारी के काम की जाकर काय लखीक लखीक 21 जिले फारिल करार हो।	[Signature]

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

